राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2019–20 / 5208 दिनांक : 27/8/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु रीडर भत्ता (Reader Allowance)

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार रीडर भत्ता उपलब्ध कराया जाना है :–

रीडर भत्ता (Reader Allowance) :-

- **पात्रता :–** राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत 1346 दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 859 तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 487) को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होगा।
- **अवधि** :– 10 माह के लिए
- **राशि** :– अधिकतम ₹ 250 / –प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2500 / –)
- **रीडर भत्ता (Reader Allowance)** का व्यय समावेशित शिक्षा मद की **"Reader Allowance"** उपमद से किया जायेगा।

विशेष बिन्दु :–

- प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर एन्ट्री कर हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के बैंक खातों को आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के बैंक खाते में रीडर अलाउंस की राशि जमा कराने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- **अगस्त 2019 में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) के कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सकें।**
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह तक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर प्रमाणित संख्या एकत्र कर राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राशि जारी की जायेगी।

- जिले के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता दिया जाना हैं परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से इन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी। इस आश्य का प्रमाण पत्र भी लिया जावे।

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प / जय / आईईडी / 19–20 / 5208
दिनांक : 27/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

27/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक